पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 273/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 02.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01.थाना सिधारी: दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.8.2024 को वादी मुकदमा ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा की बहन सिधारी कस्बा जालांस बाजार के पास से गुम हो गयी है, के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 316/24 धारा 87 बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रशिक्षु उ0नि0 विधनेश वर्मा द्वारा किया जा रहा है।

विवेचना के दौरान दिनांक 31.08.2024 को मुकदमा उक्त की अपहृता की बरामदगी प्रशिक्षु उ0नि0 विधनेश वर्मा, कां0 बृजमोहन व महिला आरती शुक्ला द्वारा किया गया। पीड़िता का नियमानुसार बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस में अंकित करते हुए जिला महिला अस्पताल से डाक्टरी मुआयना कराते हुए मा0न्यायालय में कलमबन्द बयान अंकित कराया गया। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बीएनएसएस व डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उक्त में धारा 64(1)/351(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त अमन कुशवाहा पुत्र पप्पू कुशवाहा ग्राम नवलगंज रामबाग थाना एत्मादौला जनपद आगरा का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 01.09.2024 को प्रशिक्षु उ0नि0 विधनेश वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अमन कुशवाहा पुत्र पप्पू कुशवाहा ग्राम नवलगंज रामबाग थाना एत्मादौला जनपद आगरा को विश्वकर्मा तिराहा मूसेपुर से समय करीब 14:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02-थाना जहानागंज, आजमगढ़ : गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चाकू बरामद

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 25.02.2024 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह ने ग्राम बढहलगंज से प्रतिन्धित पशुओं का मांस बेचन वाले अभियुक्तों 1- अकरम उर्फ दानिश S/O यासिन सा0 चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, 2- यासीन पुत्र स्व0 मजीद निवासी चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को 25 किलोग्राम मांस व बेचनें में प्रयोगार्थ सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त के क्रम में-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पशु तस्करी व गोवध कर प्रतिन्धित पशुओं का मांस बेचने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 30.08.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 31.08.2024 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता की तहरीर पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 466/24 धारा 2(B)(1)/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1. अकरम उर्फ दानिश S/O यासिन सा0 चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ 2. यासीन पुत्र स्व0 मजीद निवासी चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 01.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता व उ0नि0 ओमप्रकाय यादव मय हमराह, द्वारा उपरोक्त गैंगेस्टर के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. अकरम उर्फ दानिश S/O यासिन सा0 चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ 2. यासीन पुत्र स्व0 मजीद निवासी चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को भोपतपुर नहर पुलिया के पास से समय करीब 13.45 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त अकरम के पास से 01 चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अकरम के विरुद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 470/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास–

अकरम उर्फ दानिश S/O यासिन

क्र0सं	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	466/24	2(b)(1) 3(1) up गैंगेस्टर act	जहानागंज	आजमगढ़
2	470/24	4/25 आर्म्स एक्ट	जहानागंज	आजमगढ़
3	79/24	3/5/8 गोव वध नि0अधि0	जहानागंज	आजमगढ़

यासीन पुत्र स्व0 मजीद

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	466/24	2(b)(1) 3(1) up गैंगेस्टर act	जहानागंज	आजमगढ़
2	79/24	3/5/8 गोव वध नि0अधि0	जहानागंज	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता, उ0नि0 ओम प्रकाश यादव, हे0का0 मो0 ताबिश, हे0का0 गणेश सिंह, हे0का0 रमाशंकर यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

03-थाना जहानागंज आजमगढ़ : गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 25.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज मय फोर्स व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 रुपेश सिंह द्वारा प्रतिन्धित पशुओं को क्रुरता पूर्वक बांधकर दुसरे प्रान्त ले जाने, प्रतिबन्धित पशुओं का मांस तैयार करने व बेचने वाले अभियुक्तों 1. इम्तियाज पुत्र समसुल हक निवासी बरहतीर जगदीशपुर (कस्बा बगीचा) थाना जहानागंज आजमगढ़, 2. दिलसेर अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी इस्लामपुर कस्बा जहानागंज जनपद आजगमगढ़ हाल मुकाम हाजी हन्नान का मकान अतरारी मुहल्ला खैराबाद थाना मुहम्दाबाद जनपद मऊ 3. अनवर सादाब पुत्र सफीउज्जमा निवासी सरैया थाना मुबारकपुर 4. रशीदा बानो पत्नी इम्तियाज निवासी कस्बा बगीचा थाना जहानागंज आजमगढ़ 5. फकरुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन उर्फ मन्नू निवासी पनचौक बगीचा थाना जहानागंज आजमगढ़ 6. भोला उर्फ नसीम पुत्र इजराईल उर्फ इसराइल 7. पप्पू उर्फ वसीम पुत्र इजराईल उर्फ इसराइल 8. कमरुद्दीन पुत्र समसुलहक 9. बदरुद्दीन पुत्र समसुल हक 10. मो0 अरशद कुरैशी उर्फ छोटू पुत्र स्व0 समसुल हक 11. नइम पुत्र इजराईल उर्फ इसराइल निवासीगण बरहतीर जगदीशपुर (कस्बा बगीचा) थाना जहानागंज आजमगढ़ को करीब 04 मांस, 01 पिकप वाहन, 12 पशु, व मांस बेचने में प्रयोगार्थ तराजू, चापड एवं अन्य सामाने के साथ कस्बा बगीचा से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-193/2024 धारा 429, 34 भादवि0, 3/5/5A/8 गोवध अधि0, 11 पशु क्रु0 अधि0, 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पशु तस्करी व गोवध कर प्रतिन्धित पशुओं का मांस बेचने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 30.08.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 31.08.2024 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता की तहरीर पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 465/24 धारा 2(B)(1)/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1. दिलसेर अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी इस्लामपुर कस्बा जहानागंज जनपद आजगमगढ़ हाल मुकाम हाजी हन्नान का मकान अतरारी मुहल्ला खैराबाद थाना मुहम्दाबाद जनपद मऊ 2. अनवर सादाब पुत्र सफीउज्जमा निवासी सरैया थाना मुबारकपुर 3. रशीदा बानो पत्नी इम्तियाज निवासी कस्बा बगीचा थाना जहानागंज आजमगढ़ 4. फकरुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन उर्फ मन्नू निवासी पनचौक बगीचा थाना जहानागंज आजमगढ़ 5. भोला उर्फ नसीम पुत्र इजराइल 6. पप्पू उर्फ वसीम पुत्र इजराईल 7. कमरुद्दीन पुत्र समसुलहक 8. बदरुद्दीन पुत्र समसुल हक 9. मो0 अरशद कुरैशी उर्फ छोटू पुत्र स्व0 समसुल हक 10. नइम पुत्र इजराईल निवासीगण बरहतीर जगदीशपुर (कस्बा बगीचा) थाना जहानागंज आजमगढ़, 11- इम्तियाज पुत्र समसुल हक निवासी बरहतीर जगदीशपुर (कस्बा बगीचा) थाना जहानागंज आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

जिसके क्रम में दिनांक 01.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता व उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त भोला उर्फ नसीम S/O इसराइल उर्फ इजाराईल निवासी कस्बा बगीचा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को कस्बा जहानागंज से समय करीब 15.00 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 471/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास–

भोला उर्फ नशीम पुत्र इसराइल उर्फ इजराइल

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	465/24	2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986	जहानागंज	आजमगढ़
2	193/24	429/34 भा0द0वि व 3/5/5ए/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट व 7 सीएलए एक्ट	जहानागंज	आजमगढ़
3	0251/21	429 भादवि व 11 पशू क्रूरता अधिनिमय व 4/25 आर्म्स एक्ट	जहानागंज	आजमगढ़
4	471/24	4/25 आर्म्स एक्ट	जहानागंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता, उ0नि0 मदन गुप्ता, का0 टार्जन गौड़ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

03-थाना- अहरौला, आजमगढ़: किशोर के साथ अपाकृतिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 30-08-2024 को वादी मुकदमा थाना अहरौला द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0 पत्र दिया गया कि विपक्षी सुधाकर सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष वादी के लड़के को बहला फुसलाकर बाग में ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यह बात पूछने के लिये जब वादी विपक्षी के घर गया तो भद्दी-भद्दी गालियां व जाने से मारने की धमकी देने लगा। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 377/2024 धारा- 352/351(2) बी.एन.एस. व धारा- 67 आईटी एक्ट व धारा- 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 1. सुधाकर सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह, 2.शिवशंकर सिंह पुत्र अज्ञात निवासीगण बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 3. अन्य लोग नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 01.09.2024 को उ0नि0 लाल बच्चन राय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से अभियुक्त सुधाकर सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को शाहपुर पुलिया के पास से समय करीब 10:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 लालबचन राय, हे0का0 सर्वेश यादव, का0 पुष्पेन्द्र सिंह व म0का0 बंदना सिंह थाना अहरौला आजमगढ़।

04-थाना – तहबरपुर, आजमगढ़ : जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त फावडा बरामद

पूर्व की घटना–

दिनांक 31.08.2024 को वादी मुकदमा शशांक यादव पुत्र स्व0 मनोज यादव ग्रा0 खुटौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 31.08.24 की शाम को पुरानी रंजीश को लेकर वादी के पट्टीदार रोहित यादव पुत्र हेमन्त यादव ने जान मारने की नियति से वादी के चाचा व दादी पर धारदार फावड़े से हमला कर दिया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 187/2024 धारा 109, 118(1), 352, 351(3) भा0न्या0सं0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सन्तोष कुमार राय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.09.2024 को संतोष कुमार राय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित यादव पुत्र हेमन्त यादव सा0 खुटौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को तिरंगा तिराहा के पास से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव, का0 रत्नेश सिंह, का0 राहुल कुमार यादव, का0 राकेश कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

05-थाना निजामाबाद आजमगढ़ : चोरी व छिनैती करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; 01 मोबाइल फोन व एक हजार रुपये बरामद

पूर्व की घटना–

➡ दिनांक 31.08.2024 को वादी मुकदमा अरविन्द यादव पुत्र सूर्यभान यादव निवासी ग्राम रमनीपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ निजामाबाद बाजार आ रहे थे रास्ते मे 01 बाइक पर सवार 03 अज्ञात अभियुक्त वादी का मोबाइल फोन छीनकर भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 423/24 धारा 304 BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡ दिनांक 10.07.2024 को वादी मुकदमा सराफुद्दीन पुत्र हदीस निवासी बुढानपट्टी थाना निजामाबाद जिला आजमगढ की पुत्री सायमा निवासी मुकुन्दपुर थाना निजामाबाद के घर से अज्ञात चोरों द्वारा घर से वी-गार्ड कम्पनी का बैटरी - इन्वर्टर चोरी कर ले गये जिसके सम्बन्ध दिनांक 13.07.2024 को थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 339/24 धारा 305 BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 01.09.2024 को उ0नि0 मो0 शमशाद खान व उ0नि0प्र0 दिलीप आनन्द मय हमराह शेरपुर तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबीर ने सूचना दिया कि 01 व्यक्ति बेगपुर कैथिनिया बाग में चोरी की मोबाइल बेचने के फिराक मे है। इस सूचना उ0नि0 शमशाद खान मय हमराह द्वारा अभियुक्त 1-लक्की यादव पुत्र दर्शन यादव निवासी मुकुन्दपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र करीब 18 वर्ष को 01 सैमसंग मोबाइल फोन व 540 रू0 तथा अभियुक्त 2- आदित्य श्रीवास्तव पुत्र भोलानाथ श्रीवास्तव निवासी बेगपुर खालसा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र 19 वर्ष को 460/- रुपये के साथ बेगपुर कैथिनिया बाग से समय करीब 21:10 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ मौके से बरामद मोटर साइकिल को सीज कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि दिनांक 31.08.2024 को बेगपुर खालसा के पास से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अभियुक्त विशाल यादव के 01 मोबाइल फोन छिना था और माह जुलाई में मुकुन्दपुर गांव से बैटरी व इन्वटर तीनो ने मिल कर चोरी किया था। जिसको बेचने से प्राप्त 7,000 रुपये को तीनो ने आपस में बांट लिया था।

बरामदगी- 01 मोबाइल फोन (सैमसंग), 01 मोटरसाइकिल (हीरो स्पलेण्डर प्लस), 1000/- रुपये

आपराधिक इतिहास-

लक्की यादव - मु0अ0सं0 176/2023 धारा 323, 34, 427, 452, 504, 506 IPC थाना निजामाबाद, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मो0 शमसाद खान, उ0नि0प्र0 दिलीप आनन्द, का0 रुपेश पासवान,का0 मुरारी जयसवाल थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

06-थाना जीयनपुर, आजमगढ़ : दहेज हत्या में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 01.09.2024 को वादी मुकदमा शैलेन्द्र यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी ग्राम कारीसाथ पो0थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि वादी की बहन की शादी शनि पुत्र सुबाष निवासी ग्राम रसुलपुर उर्फ नरईपुर पोस्ट लाटघाट जनपद आजमगढ़ के साथ हुई थी। शनि और उसके माता-पिता व भाई-बहन द्वारा दहेज (मोटरसाईकिल और 100000/- रूपये) की मांग को लेकर प्रताड़ित कर जान से मारकर दिया गया है, जिसके आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-402/2024 धारा 85/80BNS व 3/4डीपी एक्ट बनाम 1.शनि यादव पुत्र सुबाष यादव 2.सुबाष यादव पुत्र मुसाफिर यादव 3.मुसाफिर यादव पुत्र अज्ञात 4.मनी यादव पुत्र सुबाष 5.कृष्णा यादव पुत्र सुबाष 6.आयुष्मान यादव पुत्र सुबाष 7.अनुराधा यादव पत्नी सुबाष 8.सुधा यादव पुत्री सुबाष समस्त निवासी रसूलपुर उर्फ नरईपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 02.09.2024 को श्री उ0नि0जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.शनि यादव पुत्र सुबाष यादव 2.सुबाष यादव पुत्र मुसाफिर यादव 3.आयुष्मान यादव पुत्र सुबाष यादव समस्त निवासी रसूलपूर उर्फ नरईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को रसूलपूर नरईपुर बाजार से समय करीब 11:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शनि यादव पुत्र सुबाष यादव निवासी ग्राम रसूलपूर उर्फ नरईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30वर्ष

2. सुबाष यादव पुत्र मुसाफिर यादव निवासी ग्राम रसूलपूर उर्फ नरईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष

3.आयुष्मान यादव पुत्र सुबाष यादव निवासी ग्राम रसूलपूर उर्फ नरईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0जाफर खाँ, क0धनन्जय राय, का0राहुल यादव, का0अर्जुन यादव, का0बृजेश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।